कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–अमेठी

पत्रांक एम0डी0एम0 / रसो0चयन / 1330-40 / 2022–23 दिनांक– 13 सितम्बर, 2022

समस्त **खण्ड शिक्षा अधिकारी,**
जनपद–अमेठी।

विषयः–**पी0एम0 पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रसोइया चयन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ के शासनादेश संख्या 843 / अरसठ–4–2022–604 / 2020 दिनांक 31 अगस्त, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो कि रसोइया चयन, रसाइयों की संख्या का पुनर्निर्धारण एवं नवीनीकरण पर लगायी गयी रोक समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत रसोइयों की संख्या का पुनर्निर्धारण एवं नवीनीकरण / चयन की कार्यवाही शासनादेश संख्या 435(1)79–6–10 दिनांक 24.04.2010 के प्रस्तर–6 में विहित व्यवस्था के अनुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

शासनादेश दिनांक 31.08.2022 के क्रम में शासनादेश संख्या 435(1)79–6–10 दिनांक 24.04.2010 संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तर–6 में विहित व्यवस्था के अनुसार निम्नवत् कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें–

चयन समिति– विद्यालयों में पके पकाये भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत / नगर पंचायत स्तर पर समिति निम्नवत गठित की जायेगी–

1. **ग्राम प्रधान / सम्बन्धित वार्ड सभासद–** **अध्यक्ष**
2. **सम्बन्धित ग्राम प्रधान / सम्बन्धित वार्ड सभासद द्वारा मनोनीत दो महिलायें जो अभिभावक भी हो–** **सदस्य**
3. **विद्यालय के प्रधानाध्यापक–** **सदस्य**
4. **दो पुरूष अभिभावक प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान / सम्बन्धित वार्ड सभासद द्वारा मनोनीत होंगे–** **सदस्य**

चयन प्रक्रिया–

1. आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र दिनांक 14.09.2022 से दिनांक 23.09.2022 तक सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को विद्यालय अवधि में प्राप्त कराया जा सकेगा। जिसकी पावती रसीद प्र0अ0 द्वारा अभ्यर्थी को दी जायेगी। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
2. अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त करने से इंकार करने की स्थिति में अभ्यर्थी विज्ञापन में आवेदन हेतु नियत अंतिम तिथि के अपरान्ह 5:00 बजे तक सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन हेतु लगाये गये ड्राप बाक्स में अपना आवेदन डाल सकेगा। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा ड्राप बाक्स में डाले गये आवेदन–पत्रों को अनिवार्यतः 24.09.2022 तक सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को प्राप्त कराया जायेगा।
3. किसी अभ्यर्थी द्वारा चयन के विरूद्ध सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी, जो कि अपील प्राप्त होने के एक माह के अन्दर निस्तारित करेंगे। चयन शैक्षिक सत्र 2022–23 के लिए होगा।

4. सम्बन्धित प्र0अ0/इं0प्र0अ0 द्वारा दिनांक 30.09.2022 तक रसोईया चयन कार्यवाही पूरी की जायेगी तथा इसकी लिखित सूचना विलम्बतम् 30 सितम्बर, 2022 की सायं 04:00 बजे तक सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयवार कार्यरत रसोइयों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 05.09.2022 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी। **नवीन चयनित रसोइयों से 01.10.2022 से कार्य लिया जायेगा।**

विशेष नोटः–रसोइयां चयन कार्यवाही में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि किसी विद्यालय में छात्र संख्या में कमी/पाल्य के विद्यालय में अध्ययनरत न होने आदि की स्थिति में ही वर्तमान में कार्यरत रसोइयां को पद से हटाया जाय तथा आवश्यकतानुसार अर्ह आवेदक का रसोइयां पद पर नवीन चयन किया जाय। इसी प्रकार छात्र संख्या में वृद्धि होने अथवा किसी अन्य कारण से छात्र संख्या के सापेक्ष रसोइया का पद रिक्त होने की स्थिति में ही नवीन चयन की कार्यवाही की जाय। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में कार्यरत रसोइया के रसोइया पद हेतु अर्ह होने की स्थिति में ऐसी रसोइया को हटाकर नवीन चयन न किया जाय।

नोटः **संविलियन के उपरान्त रसोइयों की संख्या का निर्धारण पूर्व की भांति विद्यालय के कुल छात्रों (कक्षा 01 से 08 तक) की संख्या के अनुसार किया जायेगा।**

संलग्नकः– उपरोक्त शासनादेशों की प्रति।

(संगीता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जनपद–अमेठी।

पृ0सं0:–एम0डी0एम0/ /2022–23 दिनांक :

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अमेठी।
2. निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी जनपद–अमेठी।
4. समस्त उप जिलाधिकारी जनपद–अमेठी।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद–अमेठी।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद–अमेठी।
7. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गौरीगंज एवं जायस।
8. अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत अमेठी एवं मुसाफिरखाना।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद–अमेठी।
10. समस्त प्र0अ0/इं0प्र0अ0, जनपद–अमेठी।

13/09/22

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अमेठी।

रसोइया चयन का नवीन साशनादेश

सत्र 2022-23 हेतु

संख्या– 843/अरसठ–4–2022–604/2020

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त, 2022

विषय:–पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रसोईया चयन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्रांक–म0भो0प्रा0/285/2022–23 दिनांक 09 अप्रैल, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रसोइया चयन, रसोईयों की संख्या का पुनर्निर्धारण एवं नवीनीकरण पर लगायी गयी रोक समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत रसोईयों की संख्या का पुनर्निर्धारण एवं नवीनीकरण/चयन की कार्यवाही शासनादेश संख्या–435(1)/79–6–10 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के प्रस्तर–6 में विहित व्यवस्था के अनुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

31/8/2022

(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव।

2

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
3– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

Su mdm go 2022

रसोइया के चयन हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का
नवीनतम फोटो
स्वहस्ताक्षरित

नाम – .....

पिता /पति का नाम -.....

श्रेणी – ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जन जाति
☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ सामान्य

नोट – (श्रेणी के आगे बने बाक्स में(✓)चिन्ह अंकित करें |)

वैवाहिक स्थिति : 1 विवाहित /अविवाहित - .....
2 विधवा /परित्यक्ता - .....

(नोट – परित्यक्ता की स्थिति में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा |)

आवेदक के बच्चे का नाम - .....

विद्यालय का नाम (जहाँ अध्ययन कर रहा है |) .....

कक्षा - ..... आवेदक से सम्बन्ध -.....

आवेदक का पता - .....

.....

आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठे का नाम निशान

परित्यक्ता हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि सुश्री ..... पति का नाम -.....

निवासी -.....

दिनांक - ..... से अपने पति श्री - .....

से विलग होने के उपरान्त अपने पति के निवास -.....

से अलग ..... में निवास कर रही हैं |

ग्राम पंचायत अधिकारी का हस्ताक्षर
(नाम व मुहर सहित)

छात्र संख्या के आधार पर रसोइयों की संख्या हेतु मानक निम्नवत निर्धारित हैं

क्रम संख्या	विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या -	अनुमन्य रसोइयों की संख्या -
1	25 तक	1
2	26-100	2
3	101-200	3
4	201-300	4
5	301-1000	5
6	1001-1500	6
7	1501 से अधिक	7

रसोइया चयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र

क्रमसंख्या -	आवेदक का नाम -	पिता /पति का नाम -	जाति-	दिव्यांग /परित्यक्ता-	पता -	आवेदक से सम्बंधित छात्र का नाम	कक्षा -	सम्बन्धित	आवेदन प्राप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									

हस्ताक्षर -

प्र०अ० -

ग्राम प्रधान –

चयनित रसोइयों की सूची

क्रम संख्या	रसोइया का नाम	पिता /पति का नाम	वैवाहिक स्थिति	जाति	पाल्य का नाम	कक्षा	रसोइया से सम्बन्ध	खाता संख्या	बैंक का नाम	IFSC कोड	मोबाइल नम्बर

हस्ताक्षर –

प्र0अ0 –

ग्राम प्रधान –

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

4 अक्टूबर 2019 का शासनादेश

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक 4 अक्टूबर, 2019**

विषयः बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 द्वारा शासनादेश सं0–1705/68–5–2018 दिनांक–22.11.2018 निर्गत किया गया है, जिसके कारण रसोईयों की संख्या के संबंध में पुर्ननिर्धारण किया जाना आवश्यक हो गया है।

वर्तमान में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में रसोइया चयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 435(1)/79–6–2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 प्रभावी है, जिसके प्रस्तर–2 में विद्यालय में रसोइयों की संख्या हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित हैः–

क्रम संख्या	विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोइयों की संख्या
1	25 तक	1
2	26–100	2
3	101–200	3
4	201–300	4
5	301 से 1000	5
6	1001–1500	6
7	1501 से अधिक	7

2– उपर्युक्त संदर्भित संविलियन शासनादेश दिनांक–22.11.2018 प्रभावी होने के कारण कार्यरत रसोईयों की संख्या में कमी/वृद्धि होने के दृष्टिगत कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन एवं रसोईयां जन कल्याण समिति, उ0प्र0 द्वारा विद्यालय के संविलियन उपरान्त कार्यरत रसोईयों के नवीनीकरण/हटाये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने के अनुरोध किया गया है।

3– उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना समीचीन पाया गया है:–

(क) संविलियन के उपरान्त विद्यालयों की संख्या में कमी आने की दशा में कार्यरत रसोइयों की संख्या के पुनर्निर्धारण की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :–

(1) संविलियन के उपरान्त रसोइयों की संख्या का निर्धारण शासनादेश संख्या–435(1)/79–6–2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के अनुसार रसोइये का चयन सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत अभिभाविकाओं (माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ) में से किए जाने का प्राविधान है। अतः संविलियन के उपरान्त शासनादेश द्वारा रसोइयों की अनुमन्य संख्या से अधिक रसोइया

कार्यरत होने की स्थिति में सर्वप्रथम उस अतिरिक्त रसोइया को कार्य से विरत किया जाएगा, जिनका पाल्य विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या–2 के अनुसार कार्यवाही किए जाने की स्थिति के उपरान्त भी यदि अतिरिक्त रसोइया कार्यरत हैं, तो उक्त स्थिति में सबसे बाद में चयनित रसोइया (Last in First Out) को कार्य से विरत किया जाएगा।

7/19

(4) ऐसी स्थिति में जहाँ एक से अधिक रसोइया एक साथ अथवा एक सत्र में चयनित की गयी हों और उनमें से किसी एक को कार्य से विरत किया जाना हो, तो उस रसोइया को कार्य से विरत किया जाएगा, जिसकी आयु कम होगी।

(5) शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2010 में वर्णित है कि अभ्यर्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जाएगी एवं विधवा एवं परित्यक्ता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः कार्यरत रसोइया, जो विधवा अथवा परित्यक्ता हैं, यथा सम्भव कार्य से विरत न किया जाय।

(6) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के कारण कार्यरत रसोइयों के नवीनीकरण के समय संख्या पुनर्निर्धारण की कार्यवाही शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2010 में वर्णित समिति द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(ख) विद्यालयों के संविलियन की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के समय निम्नवत् सावधानियाँ भी विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित की जाए :–

(1) संविलियन के उपरान्त विद्यालय के 'मध्यान्ह भोजन निधि' हेतु एक ही बैंक खाते का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। तद्विषयक वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2018 में उत्तरदायी प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के सम्बन्ध में खाद्यान्न की मात्रा एवं परिवर्तन लागत की दर भिन्न होने के कारण मध्यान्ह भोजन ग्रहण किए जाने से सम्बन्धित रिकार्ड एमडीएम की दो अलग–अलग पंजिकाओं यथा–कक्षा–1 से 5 एवं कक्षा–6 से 8 हेतु पृथक–पृथक रखा जाएगा।

(3) संविलियन विषयक कार्यवाही पूर्ण किये जाने तक विद्यालयों के संविलियन विषयक बिन्दु को टास्क फोर्स की बैठक में एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित किया जाय।

(4) बच्चों को निर्धारित मात्रा में मेन्यू के अनुसार गुणवत्ता युक्त मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) योजना से सम्बन्धित संसाधनों एवं अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए समस्त विवरण (बर्तन, किचन उपकरण, एल0पी0जी0, कन्टेनर आदि) एक पंजिका में अंकित (स्टॉक इन्ट्री) कर लिया जाय। उक्त स्टॉक इन्ट्री का शतप्रतिशत सत्यापन सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) संविलियन किए गये विद्यालयों का प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण करते हुए शासनादेश द्वारा निर्देशित कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ग) शासनादेश संख्याः 435(1)/79–6–2010, दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

24 अप्रैल 2010 का शासनादेश

संख्याः 4350/79–6–10

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांकः 24 अप्रैल, 2010

विषयः प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पके–पकाये मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था हेतु रसोईये का चयन एवं नियत मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय/स्थानीय निकाय/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, तहतानिया स्तर के मकतब/मदरसो, ई0सी0जी0आई0 केन्द्रों में भोजन पकाने हेतु स्थानीय स्तर पर रसोईये की व्यवस्था ग्राम प्रधान, वार्ड सभासद एवं स्वयं सहायता समूह आदि द्वारा की जाती है। शासनादेश संख्या–3026/79–6–2009 दिनॉक–26.12.09 जारी होने के पूर्व इन रसोईयों को परिवर्तन लागत के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य धनराशि में से ही मानदेय का भुगतान किया जाता था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ0एन0ओ01–1/2009–डेस्क(एम0डी0एम0) दिनॉक–24.11.09 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–3026/79–6–2009 दिनॉक–26.12.09 द्वारा उक्त निर्धारित व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए रसोईये के लिए रू0 1000/– की दर से पृथक से मानदेय दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। रसोईये पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत वहन भारत सरकार द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।।

2. शासनादेश संख्या–3026/79–6–2009 दिनॉक–26.12.09 द्वारा निर्धारित नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, वार्ड शिक्षा समिति, स्वयं सहायता समूह से आच्छादित विद्यालयों तथा एन0जी0ओ0 द्वारा विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनवाने की स्थिति में तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनवाने की स्थिति में रसोईये की संख्या हेतु मानक निम्नवत् निर्धारित किया जाता है–

क्रम संख्या	विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोईये की संख्या
1	25 तक	1
2	26–100	2
3	101–200	3
4	201–300	4
5	301–1000	5
6	1001–1500	6
7	1501 से अधिक	7

रसोईये के मानदेय का भुगतान बैंक में रसोईये के नाम बचत खाता खुलवाकर एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से किया जायेगा। रसोईये के मानदेय हेतु निर्धारित धनराशि रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से ग्राम शिक्षा निधि/वार्ड शिक्षा निधि के खाते में भेजी जायेगी। जबकि शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, एन0जी0ओ0 तथा स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में यह धनराशि सम्बन्धित संस्थाओं के खाते में भेजी जायेगी।

3. ग्राम पंचायत एवं वार्ड समितियों के योजना के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में रसोईये का चयन शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.–3 दिनॉक–25 जून,04

(छायाप्रति संलग्न) द्वारा गठित ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा किया जायेगा। रसोईये के चयन हेतु चयन की प्रकिया, चयन हेतु अर्हता एवं निष्कासन की प्रकिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

रसोईये का चयन उपरोक्त समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों की अभिभाविकाओं (माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ) में से कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–4/1/2001–कार्मिक–2 दि0 25.06.2002 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित रोस्टर के आधार पर किया जाएगा –

1– अनुसूचित जाति
2– अनारक्षित
3– अन्य पिछड़ा वर्ग
4– अनारक्षित
5– अनुसूचित जाति
6– अनारक्षित
7– अन्य पिछड़ा वर्ग

तथापि किसी विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर एक ही रसोईया अनुमन्य होने की स्थिति में एकल पद होने के कारण संबंधित स्थान अनारक्षित रहेगा।

4. उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत अभ्यार्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यकता को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी स्थान हेतु विधवा एवं परित्यकता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी। अभ्यर्थी के परित्यकता होने की स्थिति में उसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

रसोईये के चयन के लिए यह आवश्यक नही है कि अभ्यर्थी आवेदन करने वाले विद्यालय से सम्बन्धित ग्राम पंचायत/वार्ड का निवासी हो, तथापि यह अनिवार्य होगा कि उससे सम्बन्धित बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ता हो जिस विद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा रसोईया रखे जाने के लिए आवेदन किया गया है। रसोईये का चयन एक शिक्षा सत्र के लिए किया जायेगा। किसी विद्यालय के लिए आवेदन करने वाले रसोइयों में से शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानक के अनुसार अनुमन्य रसोईये की संख्या के दो गुना रसोइयों का पैनल तैयार किया जायेगा। किसी रसोईयें के बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से किसी विद्यालय दिवस में अनुपस्थित होने पर इस पैनल की प्रतीक्षा सूची में से रसोईये को अनुपस्थित रसोईयें के कार्य पर वापस आने तक लगाया जा सकेगा। इस रसोईये को प्रतिदिन रू0 45 की दर से मानदेय देय होगा जो कि अनुपस्थित रसोईये के मानदेय से कटौती कर दिया जायेगा। लेकिन ऐसे अतिरिक्त रसोईये को किसी माह विशेष में अधिकतम रू0 1000 का ही मानदेय अनुमन्य होगा अर्थात किसी माह विशेष में 23 व इससे अधिक विद्यालय दिवस होने की स्थिति में रू0 1000 मानदेय ही दिया जायेगा।

5. रसोईयों का चयन करने वाली ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति को यह अधिकार होगा कि मध्यान्ह भोजन पकाने संबंधी सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी मानकों के पालन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, किसी संक्रामक रोग से ग्रसित होने, किसी दुर्घटना के घटित होने अथवा अन्य कोई युक्ति–युक्त कारण, जिसके कारण चयन समिति भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों के हित में रसोईये से कार्य लेना उचित न समझे, के विद्यमान होने की स्थिति में रसोईये को तत्काल प्रभाव से हटाकर संबंधित श्रेणी के अगले अभ्यर्थी को रसोईये के काम पर लगा सकेगी। ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा रसोईये के निष्कासन की कार्यवाही प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट के आधार पर ही की जायेगी।

इस संदर्भ में वर्ष 2010–11 हेतु रसोईयों के चयन के लिए विज्ञापन मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण स्तर से दि0 27.04.2010 तक प्रकाशित किया जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों, सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दे दिये जायें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि शासन द्वारा निर्धारित मानको के आधार

करायें जा रहे खाद्यान्न का ही अंग होगा। अतः इस निमित्त धनराशि की व्यवस्था कराते हुए अवमुक्त किए जाने की आवश्यकता न होगी)

5. ग्रामीण क्षेत्र में किचेन शेड का निर्माण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) एवं शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों में किचेन शेड का निर्माण नेशनल स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम से दिया जाएगा। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चिन्हांकित नवीन विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान से किया जाएगा।

6. खाना पकाने हेतु बर्तनों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से की जाएगी।

7. योजना के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के आय व्ययक में करायी जाएगी जिसे आवश्यकतानुसार पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग को अवमुक्त किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत/वार्ड समिति के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में भोजन पकाकर उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण दायित्व पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग का होगा।

8. ग्राम प्रधान/अध्यक्ष वार्ड समिति द्वारा बच्चों का सत्यापन संख्या के आधार पर कराते हुए प्रतिमाह कन्वर्जन कास्ट की धनराशि अग्रिम के रूप में की जा सकेगी तथा उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए अगले माह हेतु अनाज एवं कन्वर्जन कास्ट प्राप्त किया जा सकेगा/सकेगी।

विद्यालयों में पके-पकाये भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एवं समिति निम्नवत गठित की जाएगी।

1. ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों	सदस्य
3. विद्यालय के प्रधानाध्यापक	सदस्य
4. दो पुरूष अभिभावक प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत होंगे	सदस्य

9. नगर निगम/नगर पालिकाएं/नगर पंचायतों के क्षेत्रों के अन्तर्गत पड़ने वाले विद्यालयों के बच्चों हेतु पका-पकाया भोजन तैयार करने तथा उसे बच्चों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु वार्ड समिति निम्नवत् गठित की जाएगी :-

1. सम्बन्धित वार्ड समासद	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित वार्ड समासद द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों	सदस्य
3. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक	सदस्य
4. दो पुरूष अभिभावक प्रतिनिधि जो वार्ड के समासद द्वारा मनोनीत होंगे	सदस्य

10. प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों को पका-पकाया भोजन प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर भी एक समिति गठित की जाएगी जिसकी प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जाएगी। जनपद स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् होगा :-

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
4. जिला विद्यालय निरीक्षण	सदस्य
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6. जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
7. सम्बन्धित नगर आयुक्त/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	सदस्य
8. जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य

[illegible] ग्राम पंचायत/वार्ड समितियों के माध्यम से योजना से आच्छादित विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में रसोईयो की संख्या विद्यालयवार निर्धारित करते हुए सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं वार्ड सभासद को संबंधित प्रधानाध्यापकों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संसूचित करें। इस संख्यात्मक विवरण को मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाय, जिससे इच्छुक सामान्यजन इस विवरण की जानकारी प्राप्त कर सकें। ग्राम पचायत और वार्ड सभासद के स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु स्थानीय संसाधनों यथा डुगडुगी आदि का भी प्रयोग किया जाये, ताकि सभी अर्ह अभ्यर्थियों को रसोईये के चयन के संबंध में उपलब्ध रिक्तियों आदि की जानकारी हो सके।

6. वर्ष 2010–11 के बाद आगामी प्रत्येक शिक्षा सत्र के लिए चयन विगत शिक्षा सत्र समाप्त होने के पूर्व अपैल से मई माह में कर लिया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 10 अप्रैल तक विज्ञापन प्रकाशित करा दिया जायेगा। जिसमें अर्ह अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु 10 दिन का समय प्रदान करते हुए विज्ञापन में ग्राम पंचायत/वार्ड समिति के सदस्य सचिव (सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक) के पास आवेदन पत्र प्राप्त कराने की अन्तिम तिथि भी अंकित कर दी जाये(आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्नक–1)। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जाये कि सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त उसको पावती रसीद दी जायेगी। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन प्राप्त करने से इनकार करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी विज्ञापन में आवेदन हेतु नियत तिथि के अपराह्न 5.00 बजे तक जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन हेतु लगाये गये ड्राप बाक्स में अपना आवेदन डाल सकेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ड्राप बाक्स में डाले गये आवेदन पत्रों को आगामी 5 दिन के अन्दर सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके उपरान्त ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा आगामी 1 सप्ताह के अन्दर रसोईये के चयन की कार्यवाही पूरी की जायेगी तथा समिति के सदस्य सचिव द्वारा इसकी लिखित सूचना विलम्बतम् 7 मई तक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

किसी अभ्यर्थी द्वारा चयन के विरूद्ध सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी, जो कि अपील प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर अपील का निस्तारण सुनिश्चित करेगा।

सहायता प्राप्त विद्यालयों, मकतब/मदरसों, स्वयं सहायता समूह तथा एन0जी0ओ0 द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में रसोईये का चयन संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा तथा इन संस्थाओं के ऊपर चयन प्रक्रिया संबंधी उपरोक्त प्राविधान लागू नहीं होंगे।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव।

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0।
4– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

रसोइयों के चयानोपरांत समिति का प्रस्ताव

आज दिनांक ..... प्रा०वि०/उ०प्रा०वि० ..... क्षेत्र..... जनपद ..... में मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत भोजन बनवाने हेतु रसोइयों के पद पर चयन के लिए ग्राम सभा से प्राप्त ..... आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा विचारोपरांत रसोइया चयन के शासनादेशों के अनुसार सर्वसम्मति से प्रथम पैनल में निम्न रसोइयों का चयन किया गया।

क्र० सं०	विकासखण्ड/नगर	विद्यालय का नाम	रसोइया का नाम	पति/अभिभावक का नाम	रसोइया की जाति

शासनादेश के अनुसार प्रथम पैनल के रसोइयों के विद्यालय दिवस में पूर्व सूचना के आधार पर अनुपस्थित रहने पर द्वितीय पैनल की प्रतीक्षा सूची में रखे गए रसोइयों से अनुपस्थित रसोइयों के कार्य पर वापस आने तक काम लिया जा सकेगा। इन रसोइयों को प्रतिदिन 45 रूपए की दर से मानदेय देय होगा जो कि प्रथम पैनल के अनुपस्थित रसोइयों के मानदेय से कटौती कर दिया जायेगा। द्वितीय पैनल निम्नवत है :-

क्र० सं०	विकासखण्ड/नगर	विद्यालय का नाम	रसोइया का नाम	पति/अभिभावक का नाम	रसोइया की जाति

हस्ताक्षर अध्यक्ष/ग्राम प्रधान

हस्ताक्षर सचिव/प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर सदस्य (महिला)

1-

2-

हस्ताक्षर सदस्य (पुरुष)

1-

2-

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश
रसोइयों के कर्तव्य

- रसोई घर, खाद्यान्न एवं सब्जी दाल आदि की समुचित सफाई रखें ।
- भोजन बनाने में साफ पानी का ही प्रयोग करें ।
- हैण्डपम्प के आस पास साफ सफाई रखें ।
- खाना बनाने से पूर्व साबुन से हाथ धोना एवं नाखून छोटे रखें ।
- केवल एगमार्क मसालों एवं आयोडाइज्ड नमक का ही प्रयोग करें ।
- भोजन को सदैव ढककर पकायें एवं ढककर ही रखें ।
- रसोईघर से कीड़े मकोड़ों एवं छिपकली आदि को बाहर निकालकर ही भोजन बनायें ।
- रसोई सम्बन्धी उपकरणों की नियमित सफाई रखें ।
- रसोईघर में प्रयोग के उपरान्त ताला लगा दें ।

1. रसोइया चयन समिति का गठन - प्रा० वि० [redacted] वि० ख० [redacted] में वर्तमान में 118 छात्र नामांकन के सापेक्ष 2 रसोइया कार्यरत हैं।

शासनादेश संख्या - 3026/79-6-2009 दिनांकित 26-12-2009 रसोइया चयन संख्या हेतु मानक निम्नवत है -

छात्र नामांकन	अनुमन्य रसोइयों की संख्या
25 तक	01
26 - 100 तक	02
101 - 200 तक	03
201 - 300 तक	04
301 - 1000 तक	05
1001 से 1500 तक	06
1501 से अधिक	07

www.upkamaster.com

उपरोक्त नियमानुसार विद्यालय में 3 रसोइयों की जगह 2 रसोइया कार्यरत है। जिससे तय समय सीमा में मध्यान्ह भोजन का कार्य करने में कठिनाई होती है। अतः 1 रसोइया का चयन किया जाना है। उक्त कार्य हेतु रसोइया चयन समिति निम्नवत है -

i) ग्राम प्रधान - अध्यक्ष
ii) ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत दो महिला अभिभावक - सदस्य
iii) ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत दो पुरुष अभिभावक - सदस्य
iv) विद्यालय प्रधानाध्यापक / सचिव - सचिव

. एम. सी. बैठक की कार्यवाही के मुख्य बिन्दु :

12 अक्तूबर 2021।

दिनांक 12-10-2021 को प्रविधानानुसार प्रा. वि. [redacted], वि. ख. [redacted] प्रांगण में रसोइया चयन हेतु एक बैठक का आयोजन रसोइया चयन समिति व विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ किया गया। रसोइया चयन इस बैठक का एजेंडा था।

उक्त चयन सत्र 2021-22 में नामांकन 118 हो जाने के कारण एक रसोइया का पद सृजित होने की स्थिति में हो रहा है। पूर्व में कार्यरत 2 रसोइया का सेवा नवीनीकरण शासन के आदेश पर COVID-19 के कारण बिना किसी कार्यवाही के हो चुका है।

चयन समिति को तय समयसीमा तक चार आवेदन [redacted] देवी, [redacted] देवी, [redacted] व [redacted] देवी के प्राप्त हुए। ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, सचिव व अन्य सदस्यों को पुनः चयन मानकों के बारे में सचिव द्वारा अवगत कराया गया। सभी आवेदनों पर गहराई से चर्चा व विचार विमर्श किया गया। सभी की सहमति से आवेदक श्रीमती [redacted] देवी पति श्री के रसोइया पद पर चयन के प्रस्ताव को पास किया गया। उक्त प्रस्ताव सचिव के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अनुमोदन के लिए भेजा जाना सुनिश्चित हुआ।

उक्त कार्यवाही की विस्तारित रूपरेखा विद्यालय रसोइया चयन पंजिका में दर्ज की गई। सभी को अवगत कराया गया कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्रस्ताव के अनुमोदन मिलने पर नई रसोइया की सेवाएं विद्यालय को मिलने लगेंगी। तदोपरान्त द्वारा बैठक का समापन कर दिया गया।

नवीन रसोइया के चयन हेतु प्रस्ताव

आज दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को प्रा० वि० [redacted] पर SMC अध्यक्ष, सदस्यगण, अभिभावक, ग्राम प्रधान एवं समस्त अध्यापकगण की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रा० वि० [redacted] में छात्र संख्या - 118 [वर्तमान सत्र में (2021-22)] होने के कारण एक नवीन रसोइया के चयन का प्रस्ताव पारित किया गया।

जिसमें नवीन रसोइया श्रीमती [redacted] देवी W/O श्री
निवासी - ग्राम - [redacted], पोस्ट [redacted], ब्लाक- [redacted] का SMC अध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान और अभिभावकों ने सर्वसम्मति से चयन किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है —

- रसोइया का नाम — श्रीमती [redacted]
- पति का नाम — [redacted]
- जाति — [redacted] (OBC)
- पता — ग्राम - [redacted], पोस्ट- [redacted]
- खाता सं० — 2922810[redacted]7
- IFSC — BARB[redacted]
- आधार सं० — [redacted]
- बैंक का नाम व शाखा — बैंक ऑफ बड़ौदा, [redacted]

www.upkamaster.com

हस्ताक्षर अभिभावक एवं SMC सदस्यगण —

हस्ताक्षर रसोइया

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

100 के ऊपर जाकर 110 हो जाने के कारण एक नई रसोइया का चयन विद्यालय हेतु होना है।

अंतिम तिथि 06-10-2021 तक विद्यालय कार्यालय में प्रधानाध्यापक को चार आवेदन प्राप्त हुए है। जिसके बारे में सभी को अवगत कराया गया। प्राप्त आवेदनों पर सभी के विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए पूर्व में कार्यरत श्रीमती सत्यवती व श्रीमती ममता देवी के अतिरिक्त रिक्त पद के लिए निम्न रसोइया का चयन किया गया।

आवेदक	पति का नाम	वर्ग	वैवाहिक स्थिति	जाति	कक्षा	संबंध

रसोइया चयन समिति -

क्र० सं०	नाम	पद नाम	पद	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

1. रसोइया चयन हेतु विज्ञापन- प्राथमिक विद्यालय [redacted] में एक नई रसोइया का चयन होना है। जिसमें विधवा, निराश्रित महिला, परित्यक्ता महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी क्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

यूपी का मास्टर. कॉम

अर्हता - उक्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ हों।

आवेदन की अंतिम तिथि- 06 अक्टूबर 2021

मानदेय- वर्तमान में प्रतिमाह 1500 ₹, 10 माह का मानदेय एक शैक्षिक सत्र में।
शासन द्वारा होने वाले समय-समय नए आदेशानुसार।

अन्य सूचना- 1. विद्यालय में छात्र संख्या कम या अधिक होने पर पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
2. आवेदन पत्र प्रारूप प्रधानाध्यापक से विद्यालय समय पर प्राप्त व प्रधानाध्यापक कार्यालय में जमा किए जायेंगे।
3. रसोइया पद पूर्ण रूप से अस्थाई है। कार्य असंतोषजनक होने की दशा में कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
4. उक्त चयन एक शैक्षिक सत्र के लिए है। सेवाओं के संतोषजनक या असंतोषजनक होने व शासनादेश द्वारा दिए गए नए निर्देशों के अनुसार अगले सत्र में चयन होगा